न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी.–।।, गाजीपुर

दण्डवाद सं0 323/2020

राज्य – प्रति – विजयमल यादव उर्फ लदहा

दिनांक : 15.12.2021 **पी.डब्ल्यू–01**

मैं, **राजीव कुमार त्रिपाठी पुत्र स्व0 राकेश मणि**, उम्र लगभग 42 वर्ष, हाल तैनाती थाना मुहम्मदाबाद, जिला–गाजीपुर, शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि दिनांक 26.12.2019 को मैं, वहैसियत उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था।

सिलसिले देखभाल व चेकिंग के लिए हमराह कां0 प्रभुनाथ के साथ देवरियां चट्टी मौजूद थे कि जरिये मुखविर खास एक व्यक्ति जीवपुर के तरफ से आ रहा है जिसके पास हेरोइन है। सूचना पर विश्वास करके व मुखविर को साथ लेकर जीवपुर मोड़ के पास छीप कर हम लोग आने जाने वाले व्यक्ति का इंतजार करने लगे।

थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति पैदल आता दिखाई दिया। मुखविर ने बताया कि वही व्यक्ति है। मुखविर हट बढ़ गया। हम पुलिस वाले उस व्यक्ति के पास आने पर हिकमत अमली से ब्रेकर के पास घेर–घार कर पकड़ लिया। उस समय करीब 14:00 बज रहा था। पकड़े गये व्यक्ति से उसका नाम पता पुछा गया तो उसने अपना नाम विजयमल यादव उर्फ लदहा पुत्र रामचन्द निवासी देवरिया बताया। उसकी जामा तलाशी ली गयी तो पहने हुए कुर्ते के दाहिने जेब को टटोला गया तो उसने बताया कि इसमें हेरोइन है। तब उसे कहा गया कि तुम्हारी जामा तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष होगी। उसने कहा कि आप लोगों पर मेरा पूर्ण विश्वास है। आप ही लोग मेरी जामा तलाशी ले लिजिए।

तब सहमति पत्र तैयार करके हम पुलिस वाले एक दूसरे की आपस में तलाशी ली गयी। कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिला। तब पकड़े गये व्यक्ति के दाहिने जेब से कागज के अन्दर पन्नी में गंदूम पाउडर मिला। जिसको सूंघ कर व हमराही को सूंघ ाा कर इतमिनान किया गया कि हेरोइन है। तब उससे हेरोइन रखने का अधिकार पत्र मांगा गया तो वह दिखाने में कासिर रहा। तब कां0 प्रभुनाथ से कम्प्यूटराइज काटा मंगा कर तौला गया तो कुल 20 ग्राम हेरोइन पाया गया।

अभियुक्त का यह कृत अंतर्गत धारा 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट का अपराध बता कर हिरासत पुलिस में लिया गया व बरामद माल में से 5 ग्राम नमूना माल तैयार कर शेष उसी में रख कर सर्व सील मुहर किया गया। गिरफतारी व बरामदगी के समय बहुत से लोग आ गये लेकिन गवाही के नाम बिना नाम पता बताये हट बढ़ गये।

फर्द मौके पर मैंने लिखकर सभी पढ़ कर सुना कर सभी के हस्ताक्षर बनवाये गये। फर्द शामिल पत्रावली कागज सं0 5अ को देखकर गवाह ने अपने लेख व हस्ताक्षर को तस्दीक किया। जिस पर प्रदर्श क1 डाला गया। व सहमति पत्र शामिल पत्रावली कागज सं0 8अ को देखकर तस्दीक किया। जिस पर प्रदर्श क2 डाला गया। इस घटना के संबंध में विवेचक ने मेरा बयान लिया था।

प्रतिपरीक्षा X X X X X X X X

मैं, चट्टी देवरिया से घटना स्थल के लिए चला था। करीब 01:30 या 01:40 बजे दिन में चला था। घटना स्थल पर पांच मिनट में पहुंचा था। घटना स्थल गाजीपुर से जमानियां जाने वाली मुख्य पीच रोड से बायें तरफ स्थित है। ये सड़क उत्तर से दक्षिण रवां है और घटना स्थल थाना जमानियां से 07 किमी0 व चौकी देवरियां से 03 किमी0 है। इस रोड लोग आते जाते है लेकिन बहुत व्यस्त रोड नहीं है।

पब्लिक का कोई व्यक्ति गवाही के लिए तैयार नहीं हुआ। हम लोगों ने विजयमल को यह बात बतायी थी कि तुम अपनी तलाशी किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी से करा सकते हो। सहमति पत्र बनाने से पूर्व हम लोगों ने विजयमल से कोई बरामदगी नहीं की थी। समहति पत्र पर हस्ताक्षर बनाने के बाद हम लोगों ने उसके जेब से कथित हेरोइन निकाला था। वह जीवपुर गांव के तरफ से आ रहा था। हम लोगों ने मुखबिर के सूचना पर पहचाना और रोका था। मुखबिर हम लोगों को बता चुका था कि अभियुक्त के पास हेरोइन है तथा पकड़ने के बाद अभियुक्त ने भी स्वीकार किया कि मेरे पास हेरोइन है।

मैंने विजयमल से उसकी स्वीकृति के बावत कोई कागज तैयार नहीं किया था। हम लोगों ने माल के रंग और उसकी गंध के आधार पर यह माना कि वह वस्तु हेरोइन है। मैंने एक इलेक्ट्रानिक कांटा मंगा कर उक्त कागज व पन्नी में लपेटे हुए माल को कागज व पन्नी के साथ ही तौला था। मैंने पहले मूल बरामद हेरोइन को तौला इसके बाद 5 ग्राम उसी माल में से नमूना निकाल कर तैयार किया गया था। नमूना माल और मूल माल को अलग अलग कपड़ों में सील किया। माल को जिस मुहर से सील किया वह मेरी व्यक्तिगत है जो गाड़ी के चाभी में लगी रहती है। मैंने एक कागज पर अलग से नमूना मुहर तैयार किया था। माल को विवेचक द्वारा विधि विज्ञान प्रयोशाला भेजा गया था।

माल की जांच के लिए कां0 रैंक के ही व्यक्ति जाते है। मैंने विवेचक को उसी दिन अपना बयान दिया था। मैंने थाने पर अपना बयान विवेचक को दिया था। मौके पर मेरे ही निशान देही पर विवेचक ने नक्शा नजरी बनाया था। पुलिस चौकी देवरियां थाने जमानियां के अन्तर्गत आती है। उसने अपना पता देवरिया का ही बताया था यानि अभियुक्त विजयमल देवरियां का ही था।

मुझे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं हैं कि विजयमल की पत्नी मालती देवी ने देवरियां चौकी के दो पुलिस वालों पर रूपया छीनने और मारने पीटने के बावत 156 (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था।

यह कहना गलत है कि अभियुक्त विजयमल यादव की पत्नी मालती देवी ने घटना से संबंधित देवरिया चौकी के दो सिपाहियों पर घटना से पूर्व 156 दण्ड प्रक्रिया के तहत प्रार्थना पत्र न्यायालय में दी थी। जिससे थाना जमानियां की पुलिस नाराज थी इस लिए अभियुक्त विजयमल के यहां से कथित बरामदगी दिखायी गयी तथा उसे फर्जी तरीके से फंसा दिया गया।

मैं 5 माह पहले थाने जमानियां पर नियुक्त हुआ था।

यह कहना गलत है कि देवरियां पुलिसकर्मियों के विरूद्ध न्यायालय द्वारा दर्ज मुकदमें से उनके बचाव के लिए आप लोगों ने विजयमल अभियुक्त को पुलिसकर्मियों के मिली भगत से गिरफतारी और बरामदगी बताया है।

यह कहना गलत है कि जिस तरह से मैं बयान दिया है उस तरह की कोई घटना नहीं हुई।

यह कहना गलत है कि अभियुक्त विजयमल को घर से पकड़ कर उक्त मुकदमें में फंसा दिया गया है।

सुनकर तस्दीक किया

बयान मेरे बोलने पर टाईप किया गया।